Mgr(T)/Steno
22/4

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 3879 /14–1 ,आगरा, दिनांक, 14 मार्च, 2019

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
प0का0इ0 अलीगढ
प्राप्ति संख्या....19954.........
प्राप्ति दिनांक.....15.04.19..

सेवा में,

महाप्रबन्धक / परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
स्ट्रीट नं0 4 होटल नीलकण्ठ के पीछे
रामगढ़–एलमपुर अलीगढ (उ0प्र0)

विषय :– मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 (कल्याणपुर से नवीगंज सेक्शन) के किमी0 229.00 से 289.00 तक चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 97.896 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवशेष धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ की पत्र संख्या 8बी / यू0पी0 / 06 / 13 / 2018 / एफ0सी0 / 199 दिनांक 21.06.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ का पत्र सं0 1360 / 2–37–2 (APO) 2018–19 (CA-ASW-2019) दिनांक 25.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र संलग्न है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के स्तर पर दिनांक 29.05.2015 को आहुत बैठक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु याचक विभाग से धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश / टिप्पणी की गयी है :–

Agenda-5 :Standardisation of Compensatory Afforestation Models –

"It was brought to be knowledge of the participants that Compensatory Afforestation schemes submitted with forest land diversion proposals are made arbitrarily and most of them lack specificity as mandated by FCA handbook (Para 3.1(i) and (ii). The CA schemes emanating from same circle have variation and differences. A compensatory afforestation schemes should be site specific, should incorporate provisions for protection of afforestation effort, soil moisture conservation, conserving the bio-diversity etc. It should be based on current cost norms but should incorporate for future cost and wage escalation as the CA scheme will be implemented in subsequent years.

It's technical matter and needs due attention. It was suggested that model estimate for compensatory afforestation works for various circles should be standardised. As clearances take time and CA scheme is framed in the initial needs to be incorporated in CA scheme; which will impart workability to the scheme. There is a need of framing estimate models where item of works is converted in man days which can be revised easily as per wage rate changes in future ...."

उक्त के परिदृश्य में मुख्य वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक 852 / 2–37–2 दिनांक 30.12.2015 के माध्यम से निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना स्थल विशिष्ट के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें वृक्षारोपण की पर्याप्त सुरक्षा, जल एवं मृदा संरक्षण, बायो–डाइवर्सिटी संरक्षण इत्यादि हेतु आवश्यक धनराशि का पर्याप्त प्राविधान निहित हो।

Scanned by CamScanner

2. वृक्षारोपण योजना प्रचलित दरों पर बनायी जाए, लेकिन लागू होने वाले वर्ष तथा देख–रेख हेतु **आगामी वर्षों में होने वाली लागत वृद्धि (श्रम दरों में वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के कारण) को ध्यान में रखते हुए ही याचक विभाग से धनराशि प्राप्त की जानी चाहिए।**
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मॉडल प्राक्कलनों का वृत्तवार मानकीकरण किया जाना उचित होगा।

अतः विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि यदि स्थल की आवश्यकता के अनुरूप क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि याचक विभाग से प्राप्त नहीं हुई है, तो याचक विभाग से वॉछित धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर करें।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी के पत्रांक 2383/29–5 दिनांक 11.03.2019 द्वारा चयनित क्षेत्रों में स्थल विशेष की आवश्यकता के अनुरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण हेतु संशोधित प्राक्कलन रू0 876.783 लाख के इस कार्यालय को प्राप्त हुये हैं। प्राप्त प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित करते हुये इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गई धनराशि रू0 86.50 लाख को कम करते हुये शेष धनराशि रू0 876.783 – 86.50 = 790.283 लाख धनराशि ई–पेमेन्ट माड्यूल के माध्यम से भारत सरकार के एडहॉक कैम्पा निधि खाते में जमा कर ऑनलाइन पेमेन्ट हिस्ट्री रसीद की प्रमाणित 05 प्रतियॉ एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / समदिनांकित ।

1– प्रतिलिपि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, आगरा को संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी का उनके पत्रांक 2383/29–5 दिनांक 11.03.2019 के कम में इस आशय से प्रेषित कि प्रतिहस्ताक्षरित संशोधित प्राक्कलन इस कार्यालय से प्राप्त कर याचक विभाग को प्राप्त कराकर अवशेष धनराशि कैम्पा में जमा कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रयोक्ता अभिकरण से ई–पेमेन्ट हिस्ट्री की प्रतियॉ एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

Scanned by CamScanner

1– प्रति हे0 व्यय का सारांश

क0 सं0	चरण	कार्य	धनराशि (रू0)
1	2	3	4
1	प्रथम	अग्रिम मृदा कार्य	204000.00
2	द्वितीय	वृक्षारोपण	277200.00
3	तृतीय	अनुरक्षण प्रथम	78980.00
4	चतुर्थ	अनुरक्षण द्वितीय	64400.00
5	पंचम	अनुरक्षण तृतीय	56400.00
6	षष्ठम	अनुरक्षण चतुर्थ	52500.00
7	सप्तम	अनुरक्षण पंचम	53560.00
8	अष्ठम	अनुरक्षण षष्ठम	48600.00
9	नवम्	अनुरक्षण सप्तम	49000.00
10	दसम्	अनुरक्षण अष्ठम	46400.00
11	दकादशम्	अनुरक्षण नवम्	46500.00
12	द्वादशम्	अनुरक्षण दसम्	46500.00
	योग		**1024040.00**

(रू0 दस लाख चौबीस हजार चालीस मात्र)

2– कुल व्यय का सारांश

क0 सं0	रोपण का कुल क्षे0 (हे0)	दर प्रति हे0	कुल धनराशि (रू0)
1	2	3	4
1	85.62	1024040/–	87678305.00

अर्थात = 87678300.00

(रू0 आठ करोड छियत्तर लाख अठत्तर हजार तीन सौ ~~पांच~~ मात्र)

प्रति हस्ताक्षरित

वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

Scanned by CamScanner

प्राक्कलन

सड़क/नहर के किनारे पंक्ति वृक्षारोपण (तारबाड़–आर0सी0सी0 खम्बें व कॉटेदार तार) 1100 पौध प्रति हे0

प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि (रू0में)
1	2	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमाकंन	1 हे0	67.50	67.50
2	नहर/सड़क पटरी पर दावघास व झुण्डनुमा खडी मूँझघास को जड़ से उखडवाकर बाहर फैकना	1 हे0	11750.00	11750.00
3	गडढा खुदान (60X60X60 सेमी0)	1100 ग0	12.20	13420.00
4	गडढों का रेखांकन	1100 ग0	0.28	308.00
5	सुरक्षा/तारबाढ कार्य			132412.50
	1–आर0सी0सी0 खम्बा का कय	275 ख0	481.50	
	2–कॉटेदार तार कय	0.55 मे0टन	78000.00	42900.00
6	सिंचाई हेतु लेजम पाईप का कय	10 किग्रा0	100	1000.00
7	अन्य व्यय	—	L.S.	2142.00
			योग	**204000.00**

Scanned by CamScanner

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि (रू0में)
1	2	4	5	6
1	गडढों में डालने हेतु गोबर की खाद का क्रय (0.0113 घ0मी0 प्रति गडढा)	12.40 घ0मी0	879.50	10905.80
2	बालू का क्रय	1.76 घ0मी0	566.50	997.04
3	गडढों का भरान	1100	2.00	2200.00
4	पौध का क्रय	1133	80.00	90640.00
5	रोपण हेतु पौध का ढुलान किमी0 11 से 20 तक	1133 पौ0	10.48	11873.84
6	पौध का स्थानीय ढुलान	1100 पौ0	0.80	880.00
7	पौध का रोपण, थांवलाबन्दी व तुरन्त सिंचाई	1100 पौ0	7.50	8250.00
8	पौध की सिचाई प्रति माह दो बार (अक्टूबर से मार्च तक)	1100X2X6	3.95	52140.00
9	पौध की निराई (अक्टूबर से मार्च तक) चार बार	1100X4	1.12	4928.00
10	वृक्षारोपण बोर्ड (2.5'X3'X6') 5 हे0 पर 01	1 बोर्ड	3300/5	660.00
11	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक (जुलाई से मार्च) प्रति 5 हे0 पर एक	234/5 मा0दि0	175.00	8190.00
12	वृक्षारोपण हेतु कीटनाशक/रसायनिक खाद का कय	1 हे0	L.S.	400.00
13	**तारबाड़ कार्य :–**			
	1–आर0सी0सी0 खम्बों का प्रभागीय कार्यालय से रोपण स्थल तक ढुलान	275 ख0	20	5500.00
	2–आर0सी0सी0 खम्बो का स्थानीय ढुलान	275	3.29	904.75
	3–आर0सी0सी0 खम्बों की ग्राउन्टिग कार्य	275	196.00	53900.00
	4–कॉटेदार तार फेलाकर फेसिंग करना (5 लड़ में)	6050 मी0	0.85	5142.50
14	ग्रीष्मकाल में आग से बचाव हेतु फरवरी–मार्च में दाब व मूँजघास की कटाई व सफाई कराना	1 हे0	2575.00	2575.00
15	अन्य व्यय	–	-	3913.07
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (5प्रतिशत)	–	-	13200.00
	कुलयोग			**277200.00**

Scanned by CamScanner

तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा/संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 12 बार	13200	प्रति पौध	3.95	52140.00
2	निराई–गुडाई 5 बार	5500	प्रति पौध	1.12	6160.00
3	तारबाड़ की मरम्मत		लमसम	0.00	1100.00
4	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	1	प्रति	400.00	400.00
5	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
7	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		1250.00
	योग				**71800.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (10 प्रतिशत)				**7180.00**
	कुलयोग				**78980.00**

चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा/संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 9 बार	9900	प्रति पौध	3.95	39105.00
2	निराई–गुडाई 4 बार	4400	प्रति पौध	1.12	4928.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		1217.00
	योग				**56000.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (15 प्रतिशत)				**8400.00**
	कुलयोग				**64400.00**

Scanned by CamScanner

पंचम चरण (अनुरक्षण तृतीय)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 7 बार	7700	प्रति पौध	3.95	30415.00
2	निराई–गुडाई 4 बार	4400	प्रति पौध	1.12	4928.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		907.00
	योग				**47000.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (20 प्रतिशत)				**9400.00**
	कुलयोग				**56400.00**

षष्ठम चरण (अनुरक्षण चतुर्थ)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 6 बार	6600	प्रति पौध	3.95	26070.00
2	निराई–गुडाई 3 बार	3300	प्रति पौध	1.12	3696.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		1484.00
	योग				**42000.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (25 प्रतिशत)				**10500.00**
	कुलयोग				**52500.00**

Scanned by CamScanner

सप्तम चरण (अनुरक्षण पंचम)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 6 बार	6600	प्रति पौध	3.95	26070.00
2	निराई–गुडाई 3 बार	3300	प्रति पौध	1.12	3696.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		684.00
	योग				**41200.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (30 प्रतिशत)				**12360.00**
	कुलयोग				**53560.00**

अष्ठम चरण (अनुरक्षण षष्टम)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 5 बार	5500	प्रति पौध	3.95	21725.00
2	निराई–गुडाई 2 बार	2200	प्रति पौध	1.12	2464.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		1061.00
	योग				**36000.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (35 प्रतिशत)				**12600.00**
	कुलयोग				**48600.00**

Scanned by CamScanner

नवम चरण (अनुरक्षण सप्तम)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा/संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 5 बार	5500	प्रति पौध	3.95	21725.00
2	निराई–गुडाई 2 बार	2200	प्रति पौध	1.12	2464.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		61.00
	योग				**35000.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (40 प्रतिशत)				**14000.00**
	कुलयोग				**49000.00**

दसम चरण (अनुरक्षण अष्टम)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा/संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 4 बार	4400	प्रति पौध	3.95	17380.00
2	निराई–गुडाई 2 बार	2200	प्रति पौध	1.12	2464.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		1406.00
	योग				**32000.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (45 प्रतिशत)				**14400.00**
	कुलयोग				**46400.00**

Scanned by CamScanner

एकादशम चरण (अनुरक्षण नवम)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 4 बार	4400	प्रति पौध	3.95	17380.00
2	निराई–गुडाई 1 बार	1100	प्रति पौध	1.12	1232.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		1638.00
	योग				**31000.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (50 प्रतिशत)				**15500.00**
	कुलयोग				**46500.00**

द्वादशम चरण (अनुरक्षण दसम)

क0 सं0	कार्य विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सिचाई विभागीय टैंक्टर व टेंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित 4 बार	4400	प्रति पौध	3.95	17380.00
2	निराई–गुडाई 1 बार	1100	प्रति पौध	1.12	1232.00
3	विभागीय ट्रेक्टर व टेंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि।	1	प्रति हे0	600.00	600.00
4	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय (अप्रेल से मार्च)	58 मा0दि0	प्रति	175.00	10150.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय		अनु0		638.00
	योग				**30000.00**
	प्रतिवर्ष कुल लागत के अनुसार अनुमानित वृद्धि (55 प्रतिशत)				**16500.00**
	कुलयोग				**46500.00**

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/13/2018/एफ.सी./199

दिनॉंक: 21.06.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

विषयः ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/24596/2017

विषयःमैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 (कल्याणपुर से नवीगंज सेक्शन) के किमी0 229.00 से 289.00 तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 97.896 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ–: इस कार्यालय के पत्रांक 8बी/यू.पी./06/13/2018/एफ.सी./53 दिनांक 20.04.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। केन्द्र सरकार द्वारा मैनपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 (कल्याणपुर से नवीगंज सेक्शन) के किमी0 229.00 से 289.00 तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 97.896 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कुल 10 शर्तो के साथ प्रदान की गयी है। दिनांक 8.6.2018 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित 10 शर्तों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त शर्त, (शर्त संख्या–11) अधिरोपित की जाती है जो कि निम्नवत है

11–पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के पत्रांक 8-16/2012-FC, दिनांक 09.05.2013 द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुसार सड़क के किनारे खाली स्थानों पर पौध रोपण किया जाना प्रस्तावित था जिसकी अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं पूरी की गई तथा ROW की अवशेष भूमि पर मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। उक्त सड़क किनारे वृक्षारोपण के कार्य हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा फन्ड में धनराशि भी जमा करायी जा चुकी है। उपरोक्त सड़क किनारे वृक्षारोपण के बदले समतुल्य वन रोपण हेतु राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त स्थल का चयन कर में पौध रोपण सुनिश्चित किया जाएगा।

शेष सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक-एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी, उ0 प्र0।
5. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, 47 ड्रिम सिटी कालोनी, बाल जीवन घुट्टी के पीछे, सरसोल, जी0टी0रोड, अलीगढ़, उ0 प्र0।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Scanned by CamScanner